

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-25/4/2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 46,89,00,000/- (छियालीस करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 46,89,00,000/- (छियालीस करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन


(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला, प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 46,89,00,000/- (छियालीस करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 46,89,00,000/- (छियालीस करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(दयानिघान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-02/2017 सा0-.....³...../ पटना, दिनांक-25/4/2017
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला
स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		11 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	65,00,000	67,00,000	10,00,000	2,00,000	1,50,000	145,50,000	50,000
2	भोजपुर	55,00,000	60,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	122,90,000	25,000
3	बक्सर	42,00,000	47,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	96,90,000	40,000
4	रोहतास	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
5	कैमूर(ममुआ)	42,00,000	47,00,000	4,50,000	1,50,000	1,40,000	96,40,000	40,000
6	नालन्दा	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	60,000
7	गया	62,00,000	67,00,000	6,00,000	2,00,000	1,50,000	138,50,000	80,000
8	नवादा	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
9	जहानाबाद	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
10	औरंगाबाद	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
11	अरवल	42,00,000	47,00,000	4,50,000	1,50,000	1,40,000	96,40,000	35,000
12	मुजफ्फरपुर	62,00,000	67,00,000	6,00,000	2,00,000	1,50,000	138,50,000	60,000
13	सीतामढी	62,00,000	67,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	136,90,000	40,000
14	पू०चम्पारण	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
15	प०चम्पारण	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
16	शिवहर	32,00,000	37,00,000	4,00,000	1,50,000	1,40,000	75,90,000	40,000
17	वैशाली	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
18	दरमंगा	62,00,000	67,00,000	5,00,000	2,00,000	1,50,000	137,50,000	60,000
19	मधुबनी	62,00,000	67,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	136,90,000	60,000
20	समस्तीपुर	62,00,000	67,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	136,90,000	40,000
21	सारण	62,00,000	67,00,000	6,00,000	2,00,000	1,50,000	138,50,000	60,000
22	सिवान	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
23	गोपालगंज	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
24	भागलपुर	62,00,000	67,00,000	6,00,000	2,00,000	1,50,000	138,50,000	60,000
25	बांका	42,00,000	47,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	96,90,000	35,000
26	मुंगेर	52,00,000	57,00,000	6,00,000	2,00,000	1,50,000	118,50,000	60,000
27	लखीसराय	32,00,000	37,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	76,90,000	40,000
28	शेखपुरा	32,00,000	37,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	76,90,000	40,000
29	जमुई	32,00,000	37,00,000	5,00,000	1,50,000	1,35,000	76,85,000	35,000
30	खगड़िया	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
31	बेगूसराय	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	40,000
32	पूर्णिया	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,50,000	117,00,000	60,000
33	कटिहार	52,00,000	57,00,000	6,00,000	1,50,000	1,40,000	117,90,000	40,000
34	अररिया	42,00,000	47,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	96,90,000	40,000
35	किसनगंज	37,00,000	37,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	81,90,000	40,000
36	सहरसा	55,00,000	58,00,000	6,00,000	2,00,000	1,50,000	122,50,000	50,000
37	मधेपुरा	52,00,000	57,00,000	5,00,000	1,50,000	1,40,000	116,90,000	35,000
38	सुपौल	42,00,000	47,00,000	5,00,000	1,50,000	1,35,000	96,85,000	35,000
कुल योग -		1920,00,000	2100,00,000	200,00,000	61,00,000	54,00,000	4335,00,000	17,00,000

contd....

(Handwritten signature)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला
स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

पृष्ठ-2/2

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	संविदा सेवाएँ	कुल
		13 01	13 02	13 03	13 04	13 06	28 02	
		10	11	12	13	14	15	
1	पटना	1,50,000	1,10,000	50,000	60,000	20,000	15,00,000	164,90,000
2	भोजपुर	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	129,90,000
3	बक्सर	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	104,05,000
4	रोहतास	60,000	40,000	30,000	50,000	5,000	5,00,000	124,15,000
5	कैमूर(भमुआ)	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	103,55,000
6	नालन्दा	70,000	60,000	40,000	40,000	7,000	6,00,000	125,67,000
7	गया	1,20,000	1,10,000	50,000	60,000	15,000	15,00,000	157,85,000
8	नवादा	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	124,05,000
9	जहानाबाद	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	124,05,000
10	औरंगाबाद	60,000	40,000	30,000	30,000	6,000	5,00,000	123,96,000
11	अरवल	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	103,40,000
12	मुजफ्फरपुर	1,20,000	60,000	50,000	50,000	15,000	15,00,000	157,05,000
13	सीतामढ़ी	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	143,95,000
14	पूंचम्पारण	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	124,05,000
15	प०चम्पारण	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	124,05,000
16	शिवहर	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	4,00,000	81,95,000
17	वैशाली	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	123,95,000
18	दरभंगा	60,000	60,000	50,000	60,000	10,000	15,00,000	155,50,000
19	मधुबनी	60,000	60,000	40,000	40,000	7,000	6,00,000	145,57,000
20	समस्तीपुर	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	144,05,000
21	सारण	60,000	50,000	40,000	50,000	10,000	15,00,000	156,20,000
22	सिवान	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	123,95,000
23	गोपालगंज	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	123,95,000
24	भागलपुर	60,000	50,000	40,000	60,000	20,000	10,00,000	151,40,000
25	बांका	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	4,00,000	102,90,000
26	मुंगेर	60,000	50,000	40,000	50,000	20,000	10,00,000	131,30,000
27	लखीसराय	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	4,00,000	82,95,000
28	शेखपुरा	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	4,00,000	82,95,000
29	जमुई	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	83,85,000
30	खगड़िया	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	6,00,000	124,95,000
31	बेगूसराय	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	6,00,000	124,95,000
32	पूर्णिया	60,000	50,000	40,000	50,000	20,000	15,00,000	134,80,000
33	कटिहार	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	124,95,000
34	अररिया	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	4,00,000	102,95,000
35	किसानगंज	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	4,00,000	88,05,000
36	सहरसा	60,000	60,000	50,000	50,000	20,000	10,00,000	135,40,000
37	मधेपुरा	60,000	40,000	30,000	30,000	5,000	5,00,000	123,90,000
38	सुपौल	60,000	40,000	30,000	40,000	5,000	5,00,000	103,95,000
कुल योग -		25,00,000	18,00,000	13,00,000	15,00,000	3,00,000	263,00,000	4689,00,000

(छियालीस करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग